तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
4-8-22	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 24-8-22 को पेश हों।
24-8-22	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 12-10-22 को पेश हों।
12-10-22	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 7-12-22 को पेश हों।
7-12-22	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 4-1-23 को पेश हों।
4-1-23	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित की एक पक्षीय बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर ग्राम पंचायत दौलतपुरा का निर्णय अपास्त किया जाकर तहसीलदार हिन्डौन को मामला रिमाण्ड किया जाता है कि वह पुनः जांच में उभयपक्षों को समुचित अवसर दिया जाकर

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
लिखित निर्णय पारित किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डोली को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उ. उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली (बून्दी)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी राज0

1/अपील/2022 | पीठासीन अधिकारी
दायरा दिनांक 01.02.2022 | (युगांतर शर्मा R.A.S)

बउनवान

1. गोपाल आत्मज हरनाथ जाति भील निवासी धाकड़खेड़ी तहसील इन्द्रगढ़
2. रमेश आत्मज हरनाथ जाति भील निवासी धाकड़खेड़ी तहसील इन्द्रगढ़
3. सत्यपाल आत्मज हरनाथ जाति भील निवासी धाकड़खेड़ी तहसील इन्द्रगढ़
4. गौरीशंकर आत्मज हरनाथ जाति भील निवासी धाकड़खेड़ी तहसील इन्द्रगढ़
5. कालूलाल आत्मज प्रभूलाल जाति भील निवासी धाकड़खेड़ी तहसील इन्द्रगढ़
6. रमेश आत्मज प्रभूलाल जाति भील निवासी धाकड़खेड़ी तहसील इन्द्रगढ़
7. मनभर आई पत्नी स्व0 प्रभूलाल जाति भील निवासी धाकड़खेड़ी तहसील इन्द्रगढ़
8. आशा बाई पुत्री प्रभूलाल पत्नी हरिओम जाति भील निवासी ग्राम धनवा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
9. धन्याबाई पुत्री हरनाथ जाति भील निवासी धाकड़खेड़ी तहसील इन्द्रगढ़
10. धर्मेन्द्र आत्मज बाबूलाल जाति भील निवासी धाकड़खेड़ी तहसील इन्द्रगढ़
11. जितेन्द्र आत्मज बाबूलाल जाति भील निवासी धाकड़खेड़ी तहसील इन्द्रगढ़
12. धापू बेवा बाबूलाल जाति भील निवासी धाकड़खेड़ी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

—अपीलान्टस

— :बनामः—

1. रामजानकी पत्नी भवानीशंकर जाति तेली निवासी सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
2. ग्राम पंचायत जर्ये सरपंच ग्राम पंचायत दौलतपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।
3. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।

—रेसपोडेन्टगण

अन्तर्गत धारा— 75 राज0 भू—राजस्व अधिनियम
उपस्थित—1.श्री सुरेश कुमार वर्मा (एडवोकेट

निर्णय दिनांकः—04.01.2023

अपीलान्ट ने अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम में प्रस्तुत कर कथन किया कि खसरा संख्या 455 रकबा 3.10 हैक्टेयर वाके ग्राम दौलतपुरा तहसील

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

इन्द्रगढ़ में स्थित है। जिसका पूर्व खातेदार हरनाथ आत्मज भेरिया जाति भील निवासी धाकड़खेड़ी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही थी। खातेदार हरनाथ का दिनांक 31.01.2015 को स्वर्गवास हो गया। अपीलान्टस मृतक हरनाथ के वारिस एवं उत्तराधिकारी हैं। अपीलान्टस द्वारा मृतक हरनाथ की मृत्यु पश्चात् फौती नामान्तकरण हेतु आवेदन किया गया राजस्व कर्मचारियों द्वारा ग्राम पंचायत दौलतपुरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसको ग्राम पंचायत दौलतपुरा द्वारा नामान्तकरण संख्या 352 दिनांक 07.06.2016 को वर्णित आराजी बाबत प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के आधार पर खारिज कर दिया गया। अपीलान्ट के मृतक हरनाथ के वारिस होने के बाबत राजस्व अधिकारियों द्वारा कोई भी विवाद होना नामान्तकरण पत्रावली में व्यक्त नहीं किया गया जबकि मृतक हरनाथ वर्णित आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार होने के कारण मृतक के वारिसान एवं उत्तराधिकारी के नाम कानूनन फौती नामान्तकरण दर्ज किया जाना चाहिए था। ग्राम पंचायत दौलतपुरा द्वारा विधि विधान को पूर्णतया नजरअंदाज करते हुए अपीलान्टस के नाम भरे गये नामान्तकरण को खारिज करने में कानूनी त्रुटि की है। अपील विषयक आराजी बाबत् प्रकरण विचाराधीन रहने के आधार पर फौती नामान्तकरण को कानूनन खारिज नहीं किया जा सकता ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण को खारिज करने से पूर्व न तो अपीलान्टस को सुना गया और न ही विधिवत नोटिस जारी किया गया और अंत में प्रार्थना की कि अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत दौलतपुरा द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 352 को खारिज करने के आदेश को निरस्त किया जाकर अपील विषयक आराजी का फौती नामान्तकरण अपीलान्टस के नाम तस्दीक करने के आदेश फरमाया जावे।

अपील अपीलान्टस दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टगण बावजूद तामिल नोटिस सूचना के अनुपस्थित रहने पर जवाब अपील बंद कर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमारे द्वारा अपीलान्टस के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अपीलान्टस के विद्वान अधिवक्ता ने अपील मेमो में वर्णित तथ्यों का दोहराव करते हुए ग्राम पंचायत दौलतपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.06.2016 को निरस्त कर अपील विषयक आराजी का फौती नामान्तकरण अपीलान्टस के नाम तस्दीक करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

हमारे द्वारा अपीलान्टस के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर पाया गया कि किसी न्यायिक वाद में पक्षकारान में से किसी की मृत्यु होने पर उसके कायम मुकाम बनाये जाते हैं ताकि वो अपने हितों का पोषण कर सके। ऐसे में वाद विचारणीय होने के आधार पर नामान्तकरण खारिज नहीं किया जा सकता, साथ यह भी स्थापित सिद्धांत है कि नामान्तकरण मात्र फिसकल कार्यवाही है। जिसमें अधिकार निर्धारित नहीं होंगे। ऐसे में मृतक खातेदार की विरासत का निर्धारण आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है।

अतः नामान्तकरण संख्या 352 दिनांक 07.06.2016 को ग्राम पंचायत दौलतपुरा द्वारा किया गया निर्णय अपास्त किया जाता है। नामान्तकरण संख्या 352 तहसीलदार इन्द्रगढ़ को रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि विधिवत् रूप से नोटिस जारी करते हुए अपीलान्टस को समुचित अवसर प्रदान करते हुए अपील विषयक आराजी के संबंध में नामान्तकरण की जांच कर पुनः विधिवत रूप से निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रति प्रेषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शूमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)